

बिहार सरकार  
आपदा प्रबंधन विभाग

प्रेषक,

अनिरुद्ध कुमार भा0प्र0से0,  
अपर सचिव।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी,

रोहतास/मुजफ्फरपुर/सीवान/सुपौल/समस्तीपुर/वैशाली/भागलपुर/मधुबनी/सहरसा/पूर्वी चम्पारण/पश्चिम चम्पारण/गोपालगंज/नवादा/कैमूर/गया/नालंदा/पूर्णियाँ/शेखपुरा/औरंगाबाद/सारण।

पटना-15, दिनांक- 28/6/17

विषय:- वर्तमान वित्तीय वर्ष-2017-18 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मुख्य शीर्ष-2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्यशीर्ष -02-बाढ़-चक्रवात आदि, लघु शीर्ष -101- आनुग्रहिक राहत, उपशीर्ष -0016- राज्य की स्थानीय प्रकृति की आपदाओं से राहत हेतु अनुदान विपत्र कोड-39-2245021010016 मद में कुल ₹510.292 लाख (पाँच करोड़ दस लाख उनतीस हजार दो सौ रूपये) मात्र आवंटन की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

2. इस राशि का व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2017-18 में स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय मुख्य शीर्ष -2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, उपमुख्यशीर्ष -02-बाढ़-चक्रवात आदि, लघु शीर्ष -101- आनुग्रहिक राहत, उपशीर्ष -0016- राज्य की स्थानीय प्रकृति की आपदाओं से राहत हेतु अनुदान के अन्तर्गत उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

3. वर्तमान आवंटित राशि की विवरणी लघुशीर्ष / उपशीर्षवार निम्न प्रकार है :

लघुशीर्ष -101- आनुग्रहिक राहत।

उपशीर्ष -0016- राज्य की स्थानीय प्रकृति की आपदाओं से राहत हेतु अनुदान

मांग संख्या- 39 विस्तृत शीर्ष- 37-अनुग्रह अनुदान, विषय शीर्ष- 01-अनुग्रह अनुदान

(राशि रूपये लाख में)

क्र0	जिला का नाम	मृत व्यक्तियों की संख्या	घायल व्यक्तियों की संख्या	मृत पशुओं की संख्या	पूर्व आवंटित राशि	वर्तमान आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	रोहतास	13	0	0	44.00 (चौवालीस लाख)	52.00 (बावन लाख)	96.00 (छियानवे लाख)	सामूहिक सड़क दुर्घटना
2	मुजफ्फरपुर	2	0	0	32.00 (बत्तीस लाख)	8.00 (आठ लाख)	40.00 (चालीस लाख)	सामूहिक सड़क दुर्घटना
3	सीवान	4	0	0	44.00 (चौवालीस लाख)	16.00 (सोलह लाख)	60.00 (साठ लाख)	सामूहिक सड़क दुर्घटना
4	सुपौल	3	0	0	32.00 (बत्तीस लाख)	12.00 (बारह लाख)	44.00 (चौवालीस लाख)	सामूहिक सड़क दुर्घटना
5	समस्तीपुर	12	0	3	44.00 (चौवालीस लाख)	48.90 (अड़तालीस लाख नब्बे हजार)	92.90 (बानवे लाख नब्बे हजार)	वज्रपात, पानी में डूबने से
6	वैशाली	1	0	0	60.46 (साठ लाख छियालीस हजार)	4.00 (चार लाख)	64.46 (चौसठ लाख छियालीस हजार)	सामूहिक सड़क दुर्घटना
7	भागलपुर	14	0	0	68.00 (अड़सठ लाख)	56.00 (छप्पन लाख)	124.00 (एक करोड़ चौबीस लाख)	वज्रपात, पानी में डूबने से
8	मधुबनी	5	0	0	60.00 (साठ लाख)	20.00 (बीस लाख)	80.00 (अस्सी लाख)	पानी में डूबने से, वज्रपात
9	सहरसा	5	3	0	200.774 (दो करोड़ सतहत्तर हजार चार सौ)	20.129 (बीस लाख बारह हजार नौ सौ)	220.903 (दो करोड़ बीस लाख नब्बे हजार तीन सौ)	सामूहिक सड़क दुर्घटना, वज्रपात, पानी में डूबने से
10	पूर्वी चम्पारण	5	0	0	116.00 (एक करोड़ सोलह लाख)	20.00 (बीस लाख)	136.00 (एक करोड़ छत्तीस लाख)	वज्रपात
11	पश्चिम चम्पारण	4	0	0	56.00 (छप्पन लाख)	16.00 (सोलह लाख)	72.00 (बहत्तर लाख)	सामूहिक सड़क दुर्घटना, पानी में डूबने से
12	गोपालगंज	7	0	0	24.00 (चौबीस लाख)	28.00 (अठारस लाख)	52.00 (बावन लाख)	सामूहिक सड़क दुर्घटना
13	नवादा	9	0	0	16.00 (सोलह लाख)	36.00 (छत्तीस लाख)	52.00 (बावन लाख)	वज्रपात, सामूहिक सड़क दुर्घटना
14	कैमूर	10	0	0	40.00 (चालीस लाख)	40.00 (चालीस लाख)	80.00 (अस्सी लाख)	पानी में डूबने से, सामूहिक सड़क दुर्घटना, वज्रपात

15	गया	5	2	0	52.172 (बावन लाख सतरह हजार दो सौ)	20.17 (बीस लाख सतरह हजार)	72.342 (बहत्तर लाख चौतीस हजार दो सौ)	पानी में डूबने से, सामूहिक सड़क दुर्घटना
16	नालंदा	6	0	0	64.17 (चौसठ लाख सतरह हजार)	24.00 (चौबीस लाख)	88.17 (अठासी लाख सतरह हजार)	वज्रपात, सामूहिक सड़क दुर्घटना, पानी में डूबने से
17	पूर्णियाँ	14	0	0	312.086 (तीन करोड़ बारह लाख आठ हजार छ' सौ)	56.00 (छप्पन लाख)	368.086 (तीन करोड़ अड़सठ लाख आठ हजार छ' सौ)	सामूहिक सड़क दुर्घटना, वज्रपात, पानी में डूबने से
18	शेखपुरा	3	0	0	16.00 (सोलह लाख)	12.00 (बारह लाख)	28.00 (अठाईस लाख)	वज्रपात, पानी में डूबने से
19	औरंगाबाद	4	1	35	16.00 (सोलह लाख)	17.093 (सतरह लाख नौ हजार तीन सौ)	33.093 (तेतीस लाख नौ हजार तीन सौ)	वज्रपात
20	सारण	1	0	0	40.00 (चालीस लाख)	4.00 (चार लाख)	44.00 (चौवालीस लाख)	वज्रपात
	कुल योग	127	6	38	1337.662 (तेरह करोड़ सैतीस लाख छियासठ हजार दो सौ)	510.292 (पाँच करोड़ दस लाख उनतीस हजार दो सौ)	1847.954 (अठारह करोड़ सैतालीस लाख पनचानवे हजार चार सौ)	

4. यह आवंटन जिला पदाधिकारी, रोहतास के पत्रांक 165 दिनांक 27.05.17, 179 दिनांक 22.05.17, 178 दिनांक 22.05.17, 172 दिनांक 22.05.17, 174 दिनांक 22.05.17, 177 दिनांक 22.05.17, 171 दिनांक 22.05.17, 167 दिनांक 22.05.17 एवं 202 दिनांक 03.05.17/मुजफ्फरपुर के पत्रांक 381 दिनांक 27.05.17/सीवान के पत्रांक 318 दिनांक 22.05.17 एवं 329 दिनांक 01.06.17/सुपौल के पत्रांक 347-2 दिनांक 17.05.17 एवं 484-2 दिनांक 17.06.17/समस्तीपुर के पत्रांक 412 दिनांक 29.05.17, 390 दिनांक 22.05.17, 195 दिनांक 04.03.17, 430 दिनांक 03.06.17 एवं 431 दिनांक 03.06.17/वैशाली के पत्रांक 409 दिनांक 18.05.17/भागलपुर के पत्रांक 375 दिनांक 26.05.17, 391 दिनांक 31.05.17, 392 दिनांक 31.05.17 एवं 390 दिनांक 31.05.17/मधुबनी के पत्रांक 251 दिनांक 20.05.17 एवं 310 दिनांक 10.06.17/सहरसा के पत्रांक 149-2 दिनांक 31.05.17, 148-2 दिनांक 31.05.17, 150-2 दिनांक 31.05.17/162-2 दिनांक 08.06.17 एवं 179-2 दिनांक 19.06.17/पूर्वी चम्पारण के पत्रांक 76 दिनांक 29.05.17/पश्चिम चम्पारण के पत्रांक 38 दिनांक 23.05.17, 43 दिनांक 02.06.17 एवं 42 दिनांक 02.06.17/गोपालगंज के पत्रांक 161 दिनांक 13.05.17/नवादा के पत्रांक 205 दिनांक 02.06.17 एवं 206 दिनांक 02.06.17/कैमूर के पत्रांक 267 दिनांक 03.06.17, 280 दिनांक 16.06.17, 263 दिनांक 01.06.17, 261 दिनांक 31.05.17, 259 दिनांक 31.05.17, 258 दिनांक 31.05.17 एवं 244 दिनांक 26.05.17/गया के पत्रांक 1379 दिनांक 01.06.17 एवं 112 दिनांक 19.06.17/नालंदा के पत्रांक 516 दिनांक 13.06.17/पूर्णियाँ के पत्रांक 426 दिनांक 15.06.17/शेखपुरा के पत्रांक 166 दिनांक 21.06.17 एवं 154 दिनांक 31.05.17/औरंगाबाद के पत्रांक 292 दिनांक 07.06.17/सारण के पत्रांक 560 दिनांक 17.06.17 द्वारा की गई अधियाचना के आलोक में निर्गत किया जा रहा है। संबंधित जिला पदाधिकारियों से अनुरोध है कि वे विभागीय अधिसूचना संख्या 1418/आ0प्र0 दिनांक 17.04.15 के आलोक में स्वयं संतुष्ट हो लें कि 'राज्य की विशेष स्थानीय प्रकृति की आपदाओं की श्रेणी में ही आती है।' संतुष्ट होने के उपरान्त राज्य की विशेष स्थानीय प्रकृति की आपदाओं की श्रेणी की घटना के लिए ही राशि का भुगतान सुनिश्चित किया जाय। मृत व्यक्तियों के आश्रितों/घायल व्यक्तियों/पशुमालिकों को इस राशि का भुगतान कर विभाग को इसकी सूचना अविलम्ब दी जाय।

5. आवंटित राशि का व्यय उसी मद में किया जाय जिस मद के लिए राशि का आवंटन किया गया है। किसी भी अन्य मद में इस राशि का विचलन नहीं किया जाय अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे।

6. आपदा प्रभावित परिवारों को देय अनुदान की राशि का भुगतान करने के संबंध में विभागीय पत्रांक 1642/आ0प्र0 दिनांक 22.04.16 द्वारा निर्गत निदेश का पालन सुनिश्चित किया जाय।

7. आवंटित की गई राशि की निकासी यथासंभव **Fully Vouched Bill** के माध्यम से ही की जाय। अपरिहार्य कारणवश ही राशि की अग्रिम निकासी ए0सी0 विपत्र के माध्यम से की जाय। अग्रिम तौर पर निकासी के बाद व्यय की गई राशि का डी0सी0 बिल महालेखाकार कार्यालय, बिहार, पटना को बिहार वित्त नियमावली के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समय सीमा में भेजते हुए उसकी प्रति, व्यय प्रतिवेदन एवं भारत सरकार के विहित प्रपत्र में उपयोगिता प्रमाण पत्र इस विभाग को शीघ्रातिशीघ्र एवं अचूक रूप से दिनांक 15.03.2018 तक अवश्य भेज दिया जाय।

8. पूर्व आवंटित राशि, जिसकी निकासी अग्रिम तौर पर की गई है, यदि पूर्णतः व्यय नहीं हो पाय, तो 15.03.2018 तक उसे कोषागार में जमा करा दिया जाय।

9. आवंटित राशि की निकासी से संबंधित विपत्र पर मुख्य बजट शीर्ष/ उप मुख्य शीर्ष- लघु शीर्ष/ उपशीर्ष तथा विपत्र कोड का उल्लेख स्पष्ट रूप से की जाय। विपत्र पर सही शीर्ष/ उपशीर्ष का मुहर लगाया जाय अन्यथा आंकड़ों के त्रुटिपूर्ण वर्गीकरण की सारी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

10. इस राशि का व्यय वित्त विभागीय ज्ञापांक 2561/वि0(2) दिनांक-17.04.98 के आलोक में की जाय। व्यय की गई राशि का महालेखाकार कार्यालय से नियमित रूप से मिलान कराया जाय।

11. यदि उपरोक्त आवंटित राशि का व्यय इस वित्तीय वर्ष में नहीं हो सके, तो अवशेष राशि का प्रत्यर्पण दिनांक 15.03.2018 तक निश्चित रूप से कर दें अन्यथा इसके लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी ही जिम्मेवार होंगे। राशि की निकासी कर बैंक खाते में नहीं रखी जाय।

12. इस आवंटन आदेश के प्राप्ति के पश्चात पत्र की एक प्रति पर "आवंटन प्राप्त हुआ", यह समूचित उल्लिखित करते हुए तुरंत रिटर्न फैंक्स से विभाग को सूचित किया जाय।

13. इस आवंटन की सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना, वित्त (बजट) को भी दी जा रही है। इसकी प्रतिलिपि संबंधित कोषागार पदाधिकारी को दी जा रही है।

14. मासिक व्यय प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 7वीं तारीख तक अनिवार्य रूप से भेजना सुनिश्चित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

अपर सचिव

ज्ञापांक- 37 /आ0प्र0, पटना-15, दिनांक- 28/6/17  
प्रतिलिपि: महालेखाकार, बिहार, पटना/ वित्त विभाग (बजट) पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

अपर सचिव

ज्ञापांक- 37 /आ0प्र0, पटना-15, दिनांक- 28/6/17  
प्रतिलिपि: संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव

ज्ञापांक- 37 /आ0प्र0, पटना-15, दिनांक- 28/6/17  
प्रतिलिपि: संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार को सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव

ज्ञापांक- 37 /आ0प्र0, पटना-15, दिनांक- 28/6/17  
प्रतिलिपि: माननीय मंत्री, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

अपर सचिव

ज्ञापांक- 37 /आ0प्र0, पटना-15, दिनांक- 28/6/17  
प्रतिलिपि: विभागीय प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/ विशेष कार्य पदाधिकारी (बजट)/सांख्यिकी पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी (बजट)/ कार्यवाह सहायक/ आई0टी0 मैनेजर/प्रभारी, राज्य आपातकालीन संचालन केन्द्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अपर सचिव